

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र श्रीवास्तव, मा०प्र०से०
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक-07/12/2016

विषय-

राज्य के सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रतिनियुक्त माध्यमिक, मध्य एवं प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रोन्नति प्रदान करने के उपरान्त वापस प्रशिक्षण संस्थान हेतु विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभिन्न प्राचार्य, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार विभिन्न जिलों में शिक्षकों की प्रोन्नति प्रधानाध्यापक के पद पर की गई है। उक्त कोटि में वैसे भी शिक्षक हैं, जो राज्य के विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में पूर्व से व्याख्याता के रूप में प्रतिनियुक्त हैं एवं उन्हें प्राचार्य, संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रोन्नति के उपरान्त पदस्थापन स्थल पर योगदान करने हेतु विरमित किया गया था। शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय के पत्रांक-20/वि०1-13/2013-466 दिनांक-17.09.2013 के आलोक में उक्त कोटि के शिक्षकों को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पुनः पूर्व के प्रतिनियोजन के आधार पर पदस्थापित संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में पुनर्योगदान हेतु विरमित कर दिया जाना था। परन्तु कई जिले में उक्त कोटि के प्रोन्नति प्राप्त शिक्षक अभी भी संबंधित प्रशिक्षण संस्थान हेतु आपके स्तर से विरमित नहीं किये गये हैं, जिस कारण वहाँ प्रशिक्षण कार्य बाधित हो रहा है।

अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर उक्त कोटि के शिक्षकों को अपने पूर्व प्रतिनियोजित सरकारी प्रशिक्षण संस्थान हेतु विरमित करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

2/12

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

सचिव।

ज्ञापांक-20/वि०1-13/2013.....565

पटना, दिनांक-07/12/2016

प्रतिलिपि-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्र, पटना/सभी प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रखण्ड जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/12

सचिव।

ज्ञापांक-20/वि०1-13/2013.....565

पटना, दिनांक-07/12/2016

प्रतिलिपि-सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/12

सचिव।

ज्ञापांक-20/वि०1-13/2013.....565

पटना, दिनांक-07/12/2016

प्रतिलिपि-आई०टी०मेनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

2/12